भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2369

दिनांक 09/03/2021/18 फाल्गुन,1942 (शक) को उत्तर के लिए

निवार चक्रवात द्वारा हुई हानि का आकलन

†2369. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:

श्रीमती चिंता अनुराधा:

श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रड्डेडी:

श्री पी.वी. मिधुन रड्डेडी:

श्री एन. रेड्डप्प:

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डेडी:

कुमारी गोड्डेति माधवी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निवार चक्रवात के कारण हुई हानि का प्राक्कलन करने के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले अंतर मंत्रालयीय केन्द्रीय दल द्वारा किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के राज्य आपदा कोष में एनडीआरएफ मानकों के अंतर्गत पात्र 2,255.70 करोड़ रूपए की वितीय सहायता देने संबंधी अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा देश विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में चक्रवातों के प्रभावी प्रबंधन हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है और उन्हें लॉजिस्टिक एवं वितीय सहायता प्रदान करती है। चक्रवात सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के पास राज्य आपदा

मोचन निधि (एसडीआरएफ) उपलब्ध है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदाओं के मामले में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने दो ज्ञापन प्रस्तुत किए थे, जिनमें वर्ष 2020-21 के दौरान एनडीआरएफ से 2255.70 करोड़ रु. की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की गई थी (बाढ़ों के लिए 1236.66 करोड़ रु. और चक्रवात 'निवार' के लिए 1019.04 करोड़ रु.)। अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमटीसी) द्वारा किए गए आकलन के आधार पर और मौजूदा मदों एवं मानदंडों के अनुसार उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात, दिनांक 01.04.2020 को एसडीआरएफ में उपलब्ध 50% शेष का समायोजन करते हुए, वर्ष 2020-21 के दौरान बाढ़ राहत के प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ से 233.49 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, चक्रवात निवार के मामले में, क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) ने 17 से 19 दिसम्बर, 2020 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) की उप-समिति द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन किए जाने और उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को एसडीआरएफ में 1119 करोड़ रु. का केंद्रीय अंशदान पहले ही जारी कर दिया है।

(ग): चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु उपयुक्त तैयारी और शीघ्र कार्रवाई का तंत्र विकसित करने के लिए देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सुव्यवस्थित संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने एक सशक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की है और मौसम संबंधी भविष्यवाणियों की सटीकता में काफी वृद्धि की है। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों/मछुआरों को शिक्षित करने के लिए नियमित तौर पर मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश को राज्य के तटीय जिलों में बहु-उद्देश्यीय चक्रवात शेल्टर, सड़कें एवं पुल, सेलाइन एमबैंकमेंट और पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली से संबंधित अवसंरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

******